

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-14/2013-114(आवंटन) /कृ., पटना, दिनांक 20-08-2013

AIL/FAX

प्रेषक,

रामजी सिंह

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला कृषि पदाधिकारी,

पटना/नालन्दा/आरा (भोजपुर)/बक्सर/रोहतास/कैमूर (भभुआ)/गया/अरवल/जहानाबाद/
औरंगाबाद/नवादा/सारण/सिवान/गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण/पश्चिमी चम्पारण/
सीतामढ़ी/शिवहर/वैशाली/दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/बेगूसराय/लखीसराय/जमुई/शेखपुरा
/मुगेर/भागलपुर/बांका/सहरसा/सुपौल/मधुपरा/पूर्णिया/अररिया/किशनगंज/कटिहार/
खगड़िया/

विषय :

किसान सलाहकार योजना का वर्ष 2013-14 में 5073.735 लाख रु० (पचास करोड़ तिहतर लाख तिहतर हजार पाँच सौ रु० मात्र) की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा इसके अधीन तत्काल सामान्य जाति के किसान सलाहकार के लिए 3237.01 लाख रु० (बत्तीस करोड़ सैंतीस लाख एक हजार रु० मात्र) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप शेष व्यय हेतु कुल ₹27,80,59,159 (सत्ताईस करोड़ अस्सी लाख उनसठ हजार एक सौ उनसठ रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-3558 दिनांक 15.07.2013 द्वारा किसान सलाहकार योजना का वर्ष 2013-14 में 5073.735 लाख रु० (पचास करोड़ तिहतर लाख तिहतर हजार पाँच सौ रु० मात्र) की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा इसके अधीन तत्काल सामान्य जाति के किसान सलाहकार के लिए 3237.01 लाख रु० (बत्तीस करोड़ सैंतीस लाख एक हजार रु० मात्र) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। पूर्व में विभागीय पत्रांक-71 (आवंटन) दिनांक-25.07.2013 द्वारा ₹4,56,41,841 की राशि आवंटित की जा चुकी है। शेष व्यय हेतु कुल ₹27,80,59,159 (सत्ताईस करोड़ अस्सी लाख उनसठ हजार एक सौ उनसठ रु०) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹27,80,59,159 (सत्ताईस करोड़ अस्सी लाख उनसठ हजार एक सौ उनसठ रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, मांग संख्या-1 उपशीर्ष-0106-इन्टेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट, नई योजना, विपत्र कोड-P2401001090106 राज्य योजना, स्कीम कोड-AGR 50 22 विषयशीर्ष-27.01 लघु कार्य में वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपबंधित राशि 4150.00 लाख रुपये में से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक-7857 दिनांक 31.07.2013 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजम

(15/20/8/13)
(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

114(आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 20-08-2013

प्रेषित।

प्रतिलिपि : विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

उभय

(15/20/8/13)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

114 (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 20-08-2013

प्रतिलिपि : विवरणी सहित वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, (प्रसार), बिहार पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) कृषि विभाग, बिहार पटना/उप कृषि निदेशक (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/कुलपति रांकुंविंविं, समस्तीपुर/कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर/उप कृषि निदेशक, (बीज), बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15/20/8/13)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -

114 (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 20-08-2013

प्रतिलिपि :- उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई०-मेल करने हेतु प्रेषित।

सुब

(15/20/8/13)

सरकार के संयुक्त सचिव।

